न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ0 सौम्या झा, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 08 / 2022
प्रविष्टि दिनांक 22.8.2022

जरिए रामभजन मीणा प्रर्वतन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
– प्रार्थी

बनाम

मै0 आस्था फैमिली रेस्टोरेन्ट नेशनल हाई वे सोनवा टोल प्लाजा के पास टोंक
– अप्रार्थी

जब्तशुदा 8 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–

1– पेराकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2– अप्रार्थी – स्वंय उपस्थित

निर्णय **दिनांक** 14.08.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 04.08.2022 को प्रवर्तन अधिकारी टोंक बहमराह प्रवर्तन निरीक्षक के साथ मै0 आस्था फैमिली रेस्टोरेन्ट, एन.एच. 12 सोनवा टोल प्लाजा, तहसील टोंक के व्यवसाय स्थल की तलाशी लेने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईधन के रूप में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 8 घरेलू गैस श्रेणी के सिलण्डर रखे पाये गये जिनमें से एक सिलेण्डर रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस चूल्हा के माध्यम से अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने में ईंधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था।अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 8 सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस चूल्हा सहित मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

जिला कलेक्टर
टोंक

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र.स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्व गैस
1.	776465 J	(BPCL)	14.2 k.g.	15.8	29.6	13.8
2.	253819B	(BPCL)	14.2 k.g.	15.7	15.8	.1
3.	8318925	(BPCL)	14.2 k.g.	15.6	28.0	12.4
4.	26402T	(BPCL)	14.2 k.g.	15.7	17.3	1.6
5.	82703B	(BPCL)	14.2 k.g.	15.9	16.0	.1
6.	940936T	(BPCL)	14.2 k.g.	15.6	15.8	.2
7.	47763S	(BPCL)	14.2 k.g.	16.0	16.1	.1
8.	511165S	(BPCL)	14.2 k.g.	15.3	15.5	.2
	Total					28.5 KG

इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर खाद्य सामग्री बनाने में ईधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन है। उक्त जब्तशुदा 8 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 28.5 Kg एलपीजी, रबर पाईप, मय रेगुलेटर व गैस चूल्हा को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारित करते हुए उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 04.08.2022 को प्रवर्तन अधिकारी टोंक बहमराह प्रवर्तन निरीक्षक के साथ मै0 आस्था फैमिली रेस्टोरेन्ट, एन.एच. 12 सोनवा टोल प्लाजा, तहसील टोंक के व्यवसाय स्थल की तलाशी लेने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईधन के रूप में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 8 घरेलू गैस श्रेणी के सिलण्डर रखे पाये गये जिनमें से एक सिलेण्डर रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस चूल्हा के माध्यम से अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने में ईंधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 8 सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस चूल्हा सहित मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई।

जिला कलेक्टर
टोंक

व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर खाद्य सामग्री बनाने में ईधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन है। उक्त जब्तशुदा 8 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 28.5 Kg एलपीजी गैस रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस चूल्हा जब्त किया गया तथा जब्त सामग्री मय गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु टोंक बुन्देल एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री हेमराज महावर की सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नहीं करें। व्यवसायी ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। जब्तशुदा 8 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 28.5 Kg एलपीजी, रबर पाईप, मय रेगुलेटर व गैस चूल्हा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण का उचित निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस/अप्रार्थी के कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 04.08.2022 के अनुसार मै0 आस्था फैमिली रेस्टोरेन्ट, एन.एच. 12 सोनवा टोल प्लाजा, तहसील टोंक के व्यवसाय स्थल की तलाशी लेने पर मौके पर 8 घरेलू गैस सिलेण्डरो को व्यवसायी द्वारा अवैध रूप से भण्डारण कर व्यवसाय स्थल पर खाघ सामग्री बनाने में ईंधन के रूप मे प्रयोग कर दुरूपयोग किये जाने पर उनको जब्त किया गया। सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है ।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र.स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्व गैस
1.	776465 J	(BPCL)	14.2 k.g.	15.8	29.6	13.8
2.	253819B	(BPCL)	14.2 k.g.	15.7	15.8	.1
3.	8318925	(BPCL)	14.2 k.g.	15.6	28.0	12.4
4.	26402T	(BPCL)	14.2 k.g.	15.7	17.3	1.6
5.	82703B	(BPCL)	14.2 k.g.	15.9	16.0	.1
6.	940936T	(BPCL)	14.2 k.g.	15.6	15.8	.2
7.	47763S	(BPCL)	14.2 k.g.	16.0	16.1	.1
8.	511165S	(BPCL)	14.2 k.g.	15.3	15.5	.2
	Total					28.5 KG

जिला कलेक्टर
राजस्थान

जिला कलेक्टर
टोंक

घरेलू गैस के व्यवसायिक कार्यों में दुरूपयोग रोकने की कार्यवाही हेतु जांच दल द्वारा जांच करने पर दुकान/व्यवसाय स्थल पर मौके पर 8 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर हेमराज, इकबाल तथा बाबू के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी हेमराज, इकबाल व बाबू के हस्ताक्षर है तथा हेमराज महावर प्रतिनिधि टोक बुन्देल एजेन्सी के हस्ताक्षर है जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय-समय पर सब्सिडी दी जाती है को मौके पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से रबर पाईप,रेगुलेटर एंव गैस चूल्हा के माध्यम से अवैध रूप से खाध सामग्री इत्यादि बनाने में पर्युक्त किये जाने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 8 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय 28.5 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देषित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज 14.08.2024 दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलेक्टर,टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)